बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– ..../2025

संख्या–1/स्था0 (2) 04/2019–3486......./भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **''बिहार पशु चिकित्सा सेवा''** (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–
   (i) यह नियमावली **''बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2025''** कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **''बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2020 के नियम–5 का प्रतिस्थापन ।** – उक्त नियमावली के नियम–5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
''5. **सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की अर्हता।** – इस सेवा के सामान्य संवर्ग एवं विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति की अर्हता निम्नवत् होगी –

(1) नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0वी0एस0सी0 (B.V.Sc.) अथवा बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री होगी।
(i) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी :–

	पूर्णांक
(क) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता– नोटः–परीक्षा की अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।	75 अंक।
(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित अधिकतम अधिमानता– (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंक के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)	25 अंक।
	कुल–100 अंक।

(2) परंतु विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।

परंतु अधिकतम उम्र सीमा के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–212 दिनांक–23.01.2006 द्वारा यथानिर्धारित छूट अनुमान्य होगी।

परंतु यह भी कि संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमे शामिल किया जायेगा। परंतु वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

(3) संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता अथवा अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य के अन्दर किसी गैर निजी संस्थान (यथा भारत सरकार/किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय) में समान पद पर किया गया कार्य अनुभव मान्य होगा। साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत पशु चिकित्सकों तथा बिहार सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों के कार्यानुभव के लिए भी अधिमानता दी जायेगी।

(4) संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण--पत्र के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–ऑफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(5) अभ्यर्थी को बिहार पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।

टिप्पणी –(क) (1) लिखित परीक्षा एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को प्रेषित की जायेगी।

(2) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय ही परीक्षा में रखा जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जायेगा, परंतु आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार एक से अधिक तिथियों/सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए जाने पर आयोग विभिन्न तिथियों/सत्रों के अंको का आवश्यकतानुसार मानकीकरण (Normalisation) करने में सक्षम होगा।

(3) बिहार राज्य के अंदर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

(ख) सामान्य/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–...................../ पटना–15, दिनांक–.............../2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–...................../ पटना–15, दिनांक–.............../2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–...................../ पटना–15, दिनांक–.............../2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–...................../ पटना–15, दिनांक–.............../2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी विशेष उप निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0 (2) 04/2019–3487....../ पटना–15, दिनांक–05/8../2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/8/25

सरकार के अपर सचिव।